



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी

निगरानी - 4642/2018/शिवपुरी/2018

मेहरवान गडरिया पुत्र श्री सिरनाम
आयु वर्ष, व्यवसाय कृषक, निवासी
ग्राम नारही तहसील करैरा जिला
शिवपुरी म0प्र0

— आवेदक

बनाम

- 1- श्रीमती किरन पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार
पारासर निवासी ग्राम डुमघना
तहसील करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0
- 2- म0प्र0 शासन

— अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 11.6.18 जो कि नायव तहसीलदार
तहसील करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक
266/2017-18/अ-12 के द्वारा बिना सूचना दिये एवम विधिक
प्रक्रिया का पालन किये बिना सीमांकन कार्यवाही संपादित की
गयी।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत है—
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य —

- 1- यहकि, ग्राम डुमघना तहसील करैरा मे स्थित सर्वे क्रमांक 81
लगायत 101 एवम 104 लगायत 109 एवम 112 लगातय 114
एवम 117 लगायत 122, 125, 126 कुल किता 38 कुल रकवा

श्री. ग. देश शोकाट
द्वारा आज दि. 26-7-18
प्रस्तुत प्रारम्भिक चर्क हेतु
दिनांक 3-8-18 निर्यात।
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

श्री. ग. देश शोकाट
1/20

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी- 4642/2018/शिवपुरी/भू.रा.

मेहरबान गडरिया विरुद्ध श्रीमती किरन व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-05-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार, तहसील करैरा, जिला- शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 266/2017-18/अ-12 में पारित आदेश दिनांक 11-06-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला- शिवपुरी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये</p>	<p>(आर.के.जी.) सदस्य</p> <p>28/5/19</p>